रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 1992/अग्रहायण 17, 1914
No. 77] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 1992/AGRAHAYANA 17, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर 1992

आ. अ. 111 (अ):—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 7 की उपधारा (1ग) के अधीन त्रिपुरा राज्य की विधान सभा में, जो लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम 1992 के प्रारम्भ होने के बाद किसी भी समय गठित हो सकती है, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 (1992 का 38) द्वारा यथा अन्तःस्थापित 20 स्थान अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे,

2. और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 1992 (1992 का 38) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने 5 दिसम्बर, 1992 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया है जब भारत के राजपत्र साधारण भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 5 दिसम्बर, 1992 में का. आ. 888 (अ) के रूप में यथा प्रकाशित अधिसूचना सं. 7(48)/92-विधि-II द्वारा उक्त अधिनियम लागू हो जाएगा ।

3. और, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1992 के लागू होने के तुरंत बाद, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 9ख की उपधारा (1) के अधीन संविधान के उपबन्धों और परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) विनिर्दिष्ट सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए, इसके द्वारा त्रिपुरा राज्य के बारे में धारा 7 की उपधारा (1ग) द्वारा हुई वृद्धि के अनुसार तीन विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का अवधारण किया है जिस में अनुसूचित जनजातियों के लिए तीन अतिरिक्त स्थान आरक्षित किए जाएंगे,

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 9ख की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग त्रिपुरा राज्य के सम्बन्ध में संविधान के उपबन्धों और परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त धारा 9ख की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए अपने प्रस्ताव प्रकाशित करता है,

प्रस्ताव

अनुसूचित जन-जातियों के लिए पहले से ही आरक्षित 17 स्थानों के अतिरिक्त, जैसा कि संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन

आदेश, 1976 की अनुसूची 21, भाग ख में दिया गया है, निम्नलिखित तीन विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

क्रम संख्या	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के नाम
1	2
1.	37--सन्तिर बाजार
2.	18--चारिलाम
3.	26--प्रमोदनगर

उक्त धारा 9ख की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग 23 दिसम्बर, 1992 को ऐसी तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिस तारीख को या उसके बाद उपरोक्त प्रस्तावों पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा,

इन सुझावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 के पास मुख्य निर्वाचन अधिकारी, त्रिपुरा, अगरतला के लिए एक प्रति सहित उक्त तारीख से पूर्व पहुंच जाने चाहिए ।

[सं. 282/अ. जा.--अ. ज. जा./त्रिपुरा/92]

आदेश से,

के. पी. जी. कुट्टी, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 1992

O.N. 111(E).—Whereas under sub section (1C) of Section 7 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), as inserted by the Representation of the People (Amendment) Act, 1992 (38 of 1992) twenty seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Tripura to be constituted at any time after the commencement of the Representation of the People (Amendment) Act, 1992;

And whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1992 (38 of 1992) has appointed the 5th day of December, 1992 as the date on which the said Act shall come into force vide Notification No. 7(48)/92-Leg. II published as S.O. 888(E) in an extraordinary issue of the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (ii) dated 5th December, 1992;

And whereas as soon as after the coming into force of the Representation of the People Act, 1992, the Election Commission shall, under sub-section (1) of section 9B of the said Act, having regard to the provisions of the Constitution and the principle specified in clause (d) of sub-section (1) of section 9 of the Delimitation Act, 1972, determine the three assembly constituencies in the State of Tripura in which the three additional seats for Scheduled Tribes, as increased by sub-section (1C) of section 7, shall be reserved;

Now, therefore, in pursuance of clause (a) of sub-section (2) of section 9B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India hereby publishes its PROPOSALS, made under sub-section (1) of the said section 9B having regard to the provisions of the Constitution and the principle specified in clause (d) of sub-section (1) of section 9 of the Delimitation Act, 1972, with respect to the State of Tripura;

PROPOSALS

In addition to the Seventeen seats already reserved for Scheduled Tribes as given in Schedule XXI-Part-B of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 the following three assembly constituencies shall be reserved for Scheduled Tribes.

Serial No.	Name of the Assembly Constituency reserved for the Scheduled Tribes.
1.	2.
1.	37-Santirbazar
2.	18-Charilam
3.	26-Pramodnagar

In pursuance of clause (b) of sub-sectoin (2) of the said section 9B, the Commission hereby specifies the 23rd December, 1992 as the date on or after which the aforesaid proposals shall be further considered by it;

Any objections or suggestions in regard to these proposals should reach the Secretary, Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110001 along with a copy to the Chief Electoral Officer, Tripura, Agartala, beforfe the said date.

[No. 282/SC-ST/TP/92]

K. P. G. KUTTY, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993